

न्यायालय सभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी विश्राम मीना (आई ए एस)

अपील संख्या: 164/2020

GCMS NO. 2020/00170

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति कुम्हार साकिन कस्बा सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

----- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ

----- रेस्पोजेन्ट

उपस्थित : रामस्वरूप तावणिया एडवोकेट

--- अभिभाषक अपीलान्त

श्री विजय पारीक एडवोकेट,

पेरोकार राज

--:- निर्णय --:-

दिनांक:- 6.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के आदेश दिनांक 31-10-2013 व अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के आदेश दिनांक 31-08-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :-
2. वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 444/4 की 25-00 बीघा भूमि अपीलान्त को सन 1976 मे आवंटन हुई थी। विवादित भूमि अपीलान्त के नाम सम्वत 2061 तक नवीनीकरण होती रही है अपीलान्त विवादित भूमि पर टी. सी. आवंटन की हैसियत से काबिज कास्त रहा। तहसीलदार सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 31-08-2006 से अपीलान्त का टी.सी. आवंटन को पैराफैरी क्षेत्र आने के कारण खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध अपीलान्त ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अपील पेश की उन्होने अपने निर्णय दिनांक 31-10-2013 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय यथावत रखा। इन्ही निर्णयो से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिवक्तागण की बहस सुनी योग्य अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील मीमो में वर्णित उक्त तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश की गई। हमने लिखित बहस का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालयों ने राज्य सरकार के परिपत्र (गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 15.12.2005 एवं 08.02.2006 के आधार पर अपीलान्त के आवंटन को खारिज किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्त ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की विभिन्न न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2006-2007 पेज 651, 2001(1) पेज 603, 2019(1) पेज 372, 2016(2) पेज 914, 2023(2) पेज 1085, 2016(1) पेज 325, 2009-10 (1) पेज 345, 2021(1) पेज 680, आर. आर. डी. 1005 पेज 688 हमने उक्त नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया




संभागीय आयुक्त
बीकानेर

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने आर. आर. टी. 2021 (1) पेज 680 मूलचन्द्र बनाम स्टेट में विस्तारित विवेचन किया है कि परिपत्र दिनांक 15-12-2005 व 08-02-2006 उपरोक्त परिपत्र केवल वेस्ट लैण्ड आवंटन के सम्बन्ध में पारित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा परिपत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह परिपत्र किन-किन नियमों के तहत आवंटित भूमियों पर लागू होगा तथा भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम बनाये गये है:-

अ-राजस्थान भू-राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986

ब-राजस्थान भू-राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1996


स-राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी कुकट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1999

उनका कथन है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र केवल उक्त वर्णित अ, ब, स, नियमों पर लागू होगा तथा अपीलान्त को किया गया विवादित भूमि का आवंटन उपरोक्त नियमों के तहत नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15-12-2005 एवं 08-02-2006 के प्रावधान अपीलान्त को कि गई आवंटन भूमि पर लागू नहीं होते हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ व तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो असंवैधानिक एवं शुन्य होने से निरस्त योग्य है एवं अपीलान्त का टी. सी. रकबा बहाल किये जाने योग्य है।

04. अपीलान्त एक साक्षर खेतीहर किसान है कानून एवं नियमों की जानकारी नहीं रखता है। अपीलान्त के अधिवक्ता ने भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के बारे में अवगत नहीं करवाया। काफी समय के बाद दिनांक 28-08-2020 से जब अपीलान्त हल्का पटवारी से मिला व सरसों की फसल बेचान के लिए गिरदावरी मांगी तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपका रकबा आराजी राज हो गया है। तब अपीलान्त अपने अधिवक्ता से मिला, अधिवक्ता ने कहा कि मैं आपको निर्णय के बारे में बताना भूल गया था इसलिए अपीलान्त को अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अतः अपील पेश करने से ही देरी को क्षमा किया जावे। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे।

05. योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पैराफेरी क्षेत्र की है जो राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 15-12-2005 एवं दिनांक 08-02-2006 के आधार पर आवंटन नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये हैं, जिसके किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटी नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।





संभागाय आयुक्त
धीकानेर

06. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर प्रत्युत्तर जवाब बहस में कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर परिपत्र दिनांक 15-12-2005 एवं दिनांक 08-02-2006 केवल वेस्ट लैण्ड आवंटन के सम्बन्ध में पारित किये गये हैं। अपीलान्ट की भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई खेती पट्टा धारक या स्थाई आवंटित के रूप में आवंटित की गई थी और ऐसा क्षेत्र बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया तथा 01-01-2001 तक उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान धृति पर अधिनियम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सूरतगढ भू-अभिलेख ने अपने निर्णय में अपीलान्ट का संवत् 2061 अर्थात् वर्ष 2004 तक नवीनीकरण होना स्वीकार किया गया।

अतः राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) दिनांक 15-12-2005 एवं 08-02-2006 केवल वेस्ट लैण्ड पर लागू होने को आधार मान कर आवंटन खारिज किया गया है, विधि सम्मत नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ आदेश दिनांक 31-10-2013 एवं तहसीलदार सूरतगढ आदेश दिनांक 31-08-2006 अपास्त फरमाया जावे।

07. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया और दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं मनन किया।
08. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मददेनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रुख अपनाते हुये अपीलान्ट मात्र साक्षर होने एवं न्यायिक/कानूनी प्रक्रिया का इल्म नहीं होने तथा योग्य अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं देने के कारण योग्य अधिवक्ता की गलती को अपीलान्ट की गलती न मानकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मियाद अधिनियम पर पारित अनकों निर्णयों के आलोक में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तदनुसार अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र का राजकीय अधिवक्ता द्वारा मय शपथ पत्र जवाब खण्डन न करने के कारण मियाद के बिन्दु को डिले-कन्डोन किया जाकर मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र धारा -5 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है।
09. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली, पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 08-02-2006 में उल्लेख है कि "शहरी व शहरो के पैराफेरी क्षेत्रों की राजस्व भूमियों की शहरी स्थानीय निकायों को शहरों के विकास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकत होती है, इस कारण यह आवश्यक है कि शहरी व शहरों के पैराफेरी क्षेत्रों में राजकीय भूमियों का दुरुपयोग रोका जावे। शहरी व शहरों के पैराफेरी क्षेत्रों में पूर्व के वर्षों में जो वेस्ट-लैण्ड का आवंटन निश्चित अवधि के लिए किया गया था, उसमें आवंटन में वर्णित अवधि के पश्चात पट्टे की अवधि नहीं बढ़ायी जावे, एवम् भूमि कब्जा




संभागिय आयुक्त
बीकानेर

राज ली जाकर रिकॉर्ड से आवंटी का अंकन हटाया जावे व जिन मामलों में पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुयी है, परन्तु वेस्ट-लेण्ड आवंटन को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त करवाकर भूमि कब्जा राज ली जावे और राजस्व रिकार्ड से आवंटी का अंकन हटाया जावे।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के अंतर्गत वेस्ट-लेण्ड आवंटन हेतु बनाये गये नियम:-(1) राजस्थान भू-राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 व (2) राजस्थान भू-राजस्व(कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996 के अंतर्गत जो वेस्ट-लेण्ड लीज की शर्तों पर आवंटित ली गयी है या उक्त भूमि अवाप्ति होने पर उसका मुआवजा ले लिया गया है या आवंटी द्वारा अपने नाम संपरिवर्तन करा लिया गया है तो यह सभी आवं गैर कानूनी व शर्तों के विरुद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार देने के आदेश/संपरिवर्तन के आदेश को नियमानुसार निरस्त किया जाय व भूमि वापस राजस्व सिवाय चक दर्ज की जाय व अवैध प्राप्त किये गये मुआवजे की वसूली मय ब्याज की जावे।

राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, कुक्कुट और सूअर पालन हेतु आवंटन)नियम, 1958 के अंतर्गत पोल्ट्री, सुअर पालन तथा डेयरी फार्मा के जिन प्रकरणों में लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और आगे लीज अवधि का विस्तार नहीं करवाया गया है या विभिन्न कारणों से लीज अवधि का विस्तार किया जाना उचित नहीं माना गया तो ऐसे प्रकरणों में भूमि तुरंत कब्जा राज ली जाकर राजस्व रिकार्ड में लीजधारी का अंकन हटाया जावे। यदि लीजधारी में लीज अवधि के दौरान लीज आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की, तो उनक लीज सक्षम अधिकारों द्वारा निरस्त कर भूमि कब्जा राज ली जावे और राजस्व रिकार्ड में लीजधारी का अंकन समाप्त किया जावे। यदि लीज अवधि के दौरान किसी आवंटी ने, लीज पर आवंटित भूमि का खातेदारी/संपरिवर्तन करा लिया हो, अथवा भूमि की अवाप्ति पर मुआवजा प्राप्त कर लिया हो तो ऐसी खातेदारी/संपरिवर्तन/मुआवजे के आदेशों को नियमानुसार निरस्त किया जावे व भूमि वापिस राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज की जावे एवं अवैधानिक तौर पर प्राप्त किये गये मुआवजे की वसूली मय ब्याज की जावे। "

10. राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार (अ), (ब), (स) के नियमों के तहत आवंटित भूमि पर लागू होने जबकि अपीलान्त को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टा) शर्त, 1955 शर्तों के तहत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है, ना कि वेस्ट लेण्ड हेतु बने नियमों के तहत, इसलिए राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र दिनांक 15-12-2005 में निम्नानुसार उल्लेख जारी किया गया है:-


(01) औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ नियमानुसार भूमि का आवंटन दो प्रकार से हो सकता है

(अ) स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया जाकर अवंटन

(ब) राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि का आवंटन

(2) इस प्रकार संपरिवर्तित भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ न कर पाने पर आवंटी द्वारा प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप में कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी में दर्ज करवाया जा सकता है परन्तु राज्य




संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि के आवंटन के प्रकरणों में नियमानुसार आवंटी का आवंटन निरस्त होकर पुनः मूल रूप से सिवाय चक दर्ज की जानी होती है।

(4) कतिपय मामलों में शासन के यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सिवाय चक भूमि के आवंटन के मामलों में भी आवंटी द्वारा आवंटित प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग न कर पाने की स्थिति में राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवंटी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किये बिना ही इस प्रकार की सिवाय चक राजकीय भूमि को भी आवंटी के खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो नियमानुसार सही नहीं है और इससे राज्य सरकार को हानी होती है।

(5) अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, कम्पनी या किसी Juristic Person को राजकीय सिवाय चक भूमि औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है तो जब कभी उक्त भूमि उस अकृषि उद्देश्य हेतु उपयोग में ली जायेगी तो वो पुनः राज्य सरकार के नाम सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज की जानी है। यदि ऐसे मामलों में आवंटित व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि को पुनः कृषि में संपरिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो उक्त भूमि उस व्यक्ति की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में दर्ज नहीं की जायेगी, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति के नाम उक्त कृषि भूमि थी ही नहीं और ऐसी भूमि सिवाय चक ही दर्ज की जायेगी।


(6) अतः उक्त स्थिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट करावें और यह भी जांच करावें कि क्या किसी मामले में इस प्रकार की गलती हुई है, यदि हां, तो उसे चिन्हित कर भूमि को तुरन्त सिवाय चक दर्ज करवाकर कब्जाराज लिया जावे एवं दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर पर भिजवाये जावे।

(7) आप अपने जिले में ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर एक माह में राज्य सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत करावे।

11. प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार भू0अ0 सूरतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-08-2006 के विरुद्ध अपीलार्थी देवेन्द्र कुमार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अपील पेश कि जो बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31-10-2013 से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15-12-2005 एवं 08-02-2006 के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी। जबकि अपीलार्थी उपरोक्त दोनों परिपत्रों में की गई विवेचना के अन्तर्गत नहीं आता है। अपीलार्थी प्री 55 का काश्तकार एवं बाद में परिवर्तित आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटी है। फलस्वरूप अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिक त्रुटिपूर्ण है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के तहत रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 444/4 में 6.325 है, भूमि अपीलान्त को 1976 में आवंटन हुई थी। विवादित भूमि अपीलान्त के नाम सम्वत 2061 तक नवीनीकरण होती रही और अपीलान्त विवादित भूमि पर टी. सी. आवंटी की हैसियत से काबिज काश्त रहा। तत्पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प.3(9) उप/2007 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 (राजस्थान अधिनियम सं. 27 सन 1954) धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अधिसूचना (दिनांक 09-10-2007, राजस्थान राज पत्र प्रकाशित




संभागाय आयुक्त
दीकानेर

दिनांक 18-10-2007) क्रमांक एफ-6 (513) राज/बी/55 दिनांक 10-05-1956, एफ.6 (513) राज/बी/55 दिनांक 13-09-1957, एफ.16(129) राज/ई/58 दिनांक 21-01-1959 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर डी- कॉलोनी क्षेत्र घोषित कर दिया, इससे स्पष्ट है कि राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित दिनांक 18-10-2007 के बाद विवादित भूमि भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान लागू होते हैं और भू-राजस्व अधिनियम के तहत गैर खातेदार खातेदार श्रेणी के ही काश्तकार होते हैं, अपीलान्ट जो उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि आवंटित थे वह अब भू-राजस्व अधिनियम के तहत गैर- खातेदार श्रेणी के कृषक हो गये हैं और नियम 18(1) के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18-10-2007 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर करने के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 9(77)रेवे-6/2008/15 दिनांक 31-05-2008 से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में यह परन्तुक जोड़ दिया गया। "व्यक्ति, जिसको भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई खेती पट्टा धारक या स्थाई आवंटित के रूप में आवंटित कि गई थी और ऐसा क्षेत्र बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया था का 01-01-2001 से पूर्ण उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान कृषि धृति पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा" तथा कार्यालय तहसीलदार सूरतगढ भू-अभिलेख ने अपने निर्णय में अपीलान्ट का संवत् 2061 अर्थात वर्ष 2004 तक नवीनीकरण होना स्वीकार किया है, तथा कार्यालय तहसीलदार से जारी गिरदावरीया सम्वत् 2057 से 2060 के अनुसार भी विवादित भूमि दिनांक 01-01-2001 के बाद तक अपीलान्ट के नाम नवीनीकरण होती रही है। अपीलान्ट से भू-राजस्व व मालकाना भी वसूल किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके नियम 18(1) के तहत आवंटन के उपरान्त तहसीलदार को तीन वर्ष की अवधि में स्वप्रेरणा से खातेदारी अधिकार प्रदान करना आज्ञापक है। अपीलार्थी उक्त नियम 18(1) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यह भूमि यदि पश्चावृत्ति क्रम पर नगरीय सीमा या नगरपालिका के परिधि क्षेत्र में आती है तो अपीलार्थी को नियमानुसार खातेदारी अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है।



13. फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गुणावगुण के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना (सं० 27 सन् 1954) धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार की अधिसूचना (दिनांक 09-10-2007 राजस्थान राज पत्र प्रकाशित दिनांक 18-10-2007) क्रमांक एफ.6(513) राज/बी/55 दिनांक 10-05-1956, एफ.6(513) राज/बी/55 दिनांक 13-09-1957, एफ.16(129) राज/ई/58 दिनांक 21-01-1959 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर डी कॉलोनी क्षेत्र घोषित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18-10-2007 के बाद विवादित भूमि भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान लागू होने और भू-राजस्व अधिनियम के तहत गैर खातेदार काश्तकार


संभागाय आयुक्त
बीकानेर

खातेदार श्रेणी के ही काश्तकार होते है। अपीलान्ट जो उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि आवंटित थे वह अब भू-राजस्व अधिनियम के तहत गैर खातेदार श्रेणी के कृषक हो गये। इसी आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ निर्णय दिनांक 31-10-2013, व तहसीलदार भू-अभिलेख सूरतगढ का निर्णय दिनांक 31-08-2006 अपास्त किये जाते है। अपीलान्ट का रकबा आवंटन जो पूर्व में (अस्थाई पट्टा) शर्त 1955 के शर्तों पर आवंटन किया गया एवं तथ्यों उपरान्त उपनिवेशन अधिनियम 1955 को समाप्त कर नियम भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ नियम 1970 के परिपेक्ष में तथा राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18-10-2007 को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर करने के पश्चात राजस्थान सरकार की अधिसूचना एफ. 9(77) रेवे-6/2008/15 दिनांक 31-05-2008 के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ का निर्णय दिनांक 31-10-2013 व तहसीलदार (भू-अभिलेख) सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31-05-2008 निरस्त किये जाकर तहसीलदार सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.9(77) रेवे-6/2008/15 दिनांक 31-05-2008 में धारित नियम 1970 के नियम 18(1) की पूर्ण पालना हो रही है तो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि) नियम 1970 के नियम 18(1) की पालना करते हुये नगरीय सीमा में भूमि अवस्थित होने के कारण नियमानुसार अवधारित भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत संदाय प्राप्त कर खातेदारी सनद प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे। निर्णित पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर अभिलेखाकार में जमा हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 6/1/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विश्राम-मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर